

पत्रांक-6/अ7-35/2002 21.68.1

झारखंड सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा झारखंड, राँची

प्रेषार्थ,
सचिव,
सी0बी0एस0 ई0 नई दिल्ली

राँची दिनांक 12.12.04.1

विषय- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0 ई0 नई दिल्ली से संबंधित अनुपात प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विद्यारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी कान्टू उच्च विद्यालय, पलास डंगाल रघुनाथपुर हुमका को सी0बी0एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अस्थायी रूप से अनुपात प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

1. - विद्यालय में वर्तमान में कुल चार प्रशिक्षित शिक्षक हैं। विद्यालय प्रबंधन एक साल के अन्दर शेष सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करा लेगी।
2. - विद्यालय की उपलब्ध भूमि में भवन एवं कमरे निर्धारित मानक क्षेत्रफल के अनुसार नहीं हैं। विद्यालय प्रबंधन एक साल के अन्दर निर्धारित मानक क्षेत्रफल के अनुसार कमरे सभा भवन, प्रयोगशाला, कार्यालय कक्ष कॉमन रूम एवं पुस्तकालय आदि तैयार कर लेगी।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के आलोक में निम्नलिखित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. - विद्यालय के वार्षिक बजट आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्तों के बराबर भुगतान करना होगा।
2. - विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. - विद्यालय को गहरी क्षेत्र में 2½ दोड़ एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4½ चार एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्विधित या कम से कम 30½ तीस वर्षों के निर्विधित पट्टा खीज पर होना चाहिए। यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनुपात प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा।
4. - विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
5. - नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. - गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य तुल्य का 50 प्रतिशत तुल्य लिया जायेगा।

08/03/05

7. - विद्यालय का कार्यक्रम राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम का संघार, वैदिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक भौगोलिक वैज्ञानिक सामाजिक, तारीखिक एवं व्यक्तिगत विकास हेतु साक्षरात्मक प्रयास करना होगा।

8. - विद्यालय में छात्रों की तत्पुष्टि संस्था एवं उसके अनुशासन में विवेक होना चाहिए।

9. - विद्यालय में नार्मल प्रक्रिया, कर्मियों की सेवा, शौचालय एवं निपुष्टि प्रक्रिया आदि में समय-समय पर राज्य सरकार तत्पुष्टिपरान्त संशोधन कर लेगी।

10. - विद्यालय संवालय हेतु गठित विद्यार्थी के आधार पर भक्ति शाली विकास के तदर्थों की कार्यविधि पूर्ण होने पर तदर्थों की तृती कला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बना करवा होगा।

11. - राज्य/संघ सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एकदिवसीय प्रोग्राम तथा सप्ताहिक/द्विदिनी/सप्ताहिक/सप्ताहिक एवं गार्डिज आदि को सुचारु रूप से करना होगा।

12. - यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का तत्पुष्टिपर राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।

13. - उपर्युक्त शर्तों एवं तन्धियों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14. - अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा तत्पुष्टि जायदादों एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय वा विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो वा ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है।

15. - विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं तन्धियों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के तत्पुष्टि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अविश्वसिताओं की जाँच कर लेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्यवाई कर लेगी।

16. - रतद विषयक किसी प्रकार के व्यक्तिगत मामलों का निपटारा मानवीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

17. - समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बन्ध संबंधी जो निर्णय लिए जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ साथ अन्य कानूनी कार्यवाई भी की जा लेगी।

विद्यालय
निर्देशक
शारदाधिकार
राँची

-3-

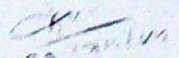
आपक... 3.1.65... / राँची, दिनांक .12.12.1979.... /

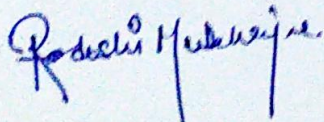
प्रतिनिधि- संविधान क्षेत्रीय उपाय विभाग निरीक्षण/संविधान विभाग निरीक्षण अधिकारी/संविधान विभाग के प्रधानाध्यापक की गुणवत्ता एवं आसक्त कार्यक्षेत्र है।


निदेश,
प्रधानाध्यापक निरीक्षण
राँची।

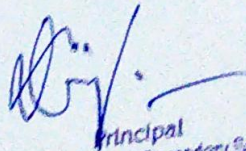
आपक... 3.1.68... / राँची, दिनांक .12.12.1979 /

प्रतिनिधि- मानवीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, सरकार के प्राप्त तथ्य/तथ्य, मानव संसाधन विकास विभाग सरकार, राँची की गुणवत्ता एवं आसक्त कार्यक्षेत्र है।


निदेश,
प्रधानाध्यापक निरीक्षण
राँची



Manager
Sido Kanhu Sr. Sec. School
Raghunathpur
Dumka (Jharkhand)



Principal
Sido Kanhu Senior Secondary School
Palash Dangal, Raghunathpur, Dumka
Aff. No. - 3430100
SC. No. - 00000